F.No.11012/1/2021-Planning
Government of India
Ministry of Culture
Archaeological Survey of India

Dharohar Bhawan,
24, Tilak Marg, New Delhi-110001
Dated the, 5th June 2023

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Recruitment Rules for the newly created post of Senior Administrative Officer in ASI notified vide G.S.R.402(E), dated 29th May, 2023.

The undersigned is directed to enclose herewith the Recruitment Rules for the post of Senior Administrative Officer in ASI notified vide G.S.R.402(E), dated 29th May, 2023 for information and necessary action.

Encl:- As above.

5/6/23
(M. Jena)
Director(Administration)

1) PS to Secretary(Culture/JS(ASI, MoC.
2) PS/PA to DG/ADG(Adm.)/All Jt.DGs/All Directors at ASI Hqrs.
3) The Principal Pay and Accounts Officer, Ministry of Culture, Shastri Bhawan, New Delhi-110011.
4) The Under Secretary(LE & RR), Department of Personnel & Training, North Block, New Delhi.
5) The Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, Shahjahan Road, New Delhi-110069
6) The Director(Finance), Ministry of Culture, Shastri Bhawan, New Delhi.
7) Dy. Director(Admn.)/Dy. Director(A/C), ASI Hqrs., Dharohar Bhawan, 24, Tilak Marg, New Delhi.
8) All Regional Directors of ASI/ All Archaeological Offices.
9) Adm.I/Adm.II/Vigilance/Cash Section, ASI Hqrs., Dharohar Bhawan, 24, Tilak Marg, New Delhi.
10) Pay and Accounts Office, ASI, New Delhi/Hyderabad.
11) Website Section, ASI Hqrs. Office, Dharohar Bhawan, 24, Tilak Marg, New Delhi.
12) The President/Secretary General, AIASA, New Delhi.
13) Hindi Section.
14) Office Order Folder/Guard File.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31052023-246187
CG-DL-E-31052023-246187

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 328] नई दिल्ली, बुधवार, मई 31, 2023/ज्येष्ठ 10, 1945
No. 328] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 31, 2023/JYAISHTHA 10, 1945

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2023

सा.का.नि. 402(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.---(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रारंभिक गठन .--- वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर आसीन पदधारी जिन्हें नियमित आधार पर तारीख 01 जून, 2022 के कार्यालय आदेश सं. ए-32004/1/2022-प्रशा.। द्वारा उक्त पद पर नियुक्त किया गया था और उनके द्वारा उक्त पद पर इन नियमों के प्रारंभ के पूर्व की गई सेवा में उन्हें परिवीक्षा, पुष्टि, पदोन्नति आदि के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

3.पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .--- इस पद की संख्या, इसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में यथा विनिर्दिष्ट है।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि .--- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य विषय वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.--- वह व्यक्ति,----

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.---जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह आदेश द्वारा और उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.---इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	10*(2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर – 8 (47600-511100 रू.)	चयन	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।**
(10)	(11)
100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति :** वेतन मैट्रिक्स स्तर – 7 (44900-142400 रूपए) में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर दो वर्षों की नियमित सेवा और लेखा, प्रशासन तथा स्थापना, आदि में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।